



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक 77 / नियोजन अनुभाग / 2013

दिनांक 18/3/13

आदेश-

ओरेज काउण्टी रेजीडेन्स वेलफेयर एसोसिएशन व प्रमोटर के मध्य कॉमन फैसिलिटीज के हस्तान्तरण, सीपेज की समस्या, बेसमेंट में बने स्टोर्स, इलैक्ट्रिकल वायरिंग आदि के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र स0-236/नियो0अनु0/12 दिनांक-2.5.12 द्वारा कार्यवृत्त जारी किया गया। आर0डब्ल्यू0ए0 द्वारा पत्र दिनांक-18.2.13 के माध्यम से आई0एफ0एम0एस0 एवं क्लब सिक्वोरिटी को वापिस किए जाने एवं अन्य प्रकरणों हेतु अनुरोध किया गया है।

एतद्वारा प्रमोटर मै0 ए0बी0ए0 बिल्डर्स को आदेशित किया जाता है कि वे आई0एफ0एम0एस0 एवं क्लब सिक्वोरिटी को यथाशीघ्र वापिस करे तथा इस आदेश प्राप्त के 15 दिन के अन्दर उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर अपना डिक्लीयरेशन प्रस्तुत करे। उ0प्र0 अपार्टमेंट रूल्स में जारी डिक्लीयरेशन का प्रारूप आदेश के साथ संलग्न किया जा रहा है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए एवं कार्यवाही नहीं किये जाने की स्थिति में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)

पी सी एस

विशेषकार्याधिकारी

(सक्षम प्राधिकारी से प्राधिकृत)

पृष्ठांकन सं0-
प्रतिलिपि-

/ 13

दिनांक-

1. उपाध्यक्ष महोदय को सूचनार्थ।
2. मै0 ए0बी0ए0 बिल्डर्स, जीएच-4, अहिंसा खण्ड-1, इन्दिरापुरम् को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रैसीडेंट, ओरेज काउण्टी आर0डब्ल्यू0ए0, अहिंसा खण्ड-1, इन्दिरापुरम् को सूचनार्थ।

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)

विशेषकार्याधिकारी